फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सुमन देवी बनाम भगवानसहाय वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकास्मा व स्थाई निषे0 मु0नं0– 144/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा इस आशय का राजीनामा पेश किया गया है कि प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए गए है उभयपक्षकारान उस विभाजन प्रस्ताव से सहमत है एवं उसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित की जावे। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्रांक भू0अ0/928 दिनांक 17.03.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए गए है जो कि दिनांक 12.03.2020 को तैयार किए गए है। उभयपक्ष विभाजन प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत है इसलिए विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/928 दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव जो कि दिनांक 12.03.2020 को तैयार किए गए है, स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	